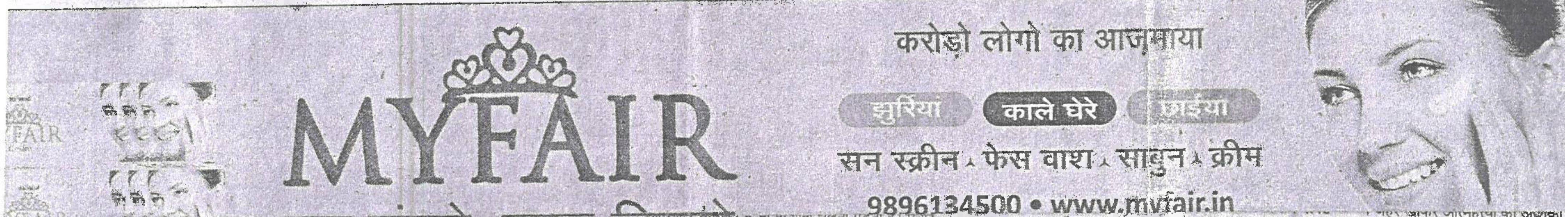
MYFAIR
करोड़ो लोगो का आजमाया
झुर्रियां
काले घेरे
छाईयां
सन स्क्रीन • फेस वाश • साबुन • क्रीम
9896134500 • www.myfair.in

आजकल है खराब। संवाद

मजबूर हैं लोग। संवाद

जताई है। संवाद

471 इकाइयां करेंगी रोड़ रुपये का निवेश

स्टम से मिली सैद्धांतिक मंजूरी, हजारों को मिलेगा रोजगार

लक्ष्य से अधिक का दिया पीएमईजीपी में अनुदान

रुद्रपुर। उद्योग केंद्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में इकाइयों की स्थापना के लिए लक्ष्य से अधिक का अनुदान वितरित कर दिया है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक तिवारी ने बताया कि पीएमईजीपी में चार करोड़ 19 लाख रुपये का अनुदान देने का लक्ष्य दिया गया था लेकिन लोगों के प्रोजेक्टों को देखते हुए चार करोड़ 80 लाख रुपये का अनुदान (मार्जिन मनी) दिया गया है। संवाद

इस वर्ष सिंगल विंडो सिस्टम से 471 इकाइयों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। यह इकाइयां जिले में 1705 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इसमें आठ हजार से भी अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। -उत्तम तिवारी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र

बीते वर्ष लागू किया गया है।

इस सिंगल विंडो सिस्टम के प्लेटफार्म से ज्यादातर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये आवेदन करने पर उद्यमियों को एक ही बार में फायर, राजस्व, स्वास्थ्य,

हाईकोर्ट

मुजफ्फरनगर कांड केस ट्रांसफर मामले में सुनवाई 9 जनवरी को

नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला जज देहरादून व सीबीआई देहरादून से पूछा है कि मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित केसों को कैसे व किस आधार पर मुजफ्फरनगर ट्रांसफर कर दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी यह बताने को कहा है कि केस ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते हैं। दोनों पक्षों को नौ जनवरी तक इस मामले में जवाब देने को कहा है।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष हाईकोर्ट के अधिवक्ता व राज्य आंदोलनकारी रमन कुमार साह की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड में पुलिस की ज्यादती व गोलीबारी में 22 आंदोलनकारियों की मौत हुई। इस कांड से संबंधित मुकदमों में से तीन का केस देहरादून से मुजफ्फरनगर ट्रांसफर करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन केसों में तत्कालीन डीएम अनंत कुमार सिंह भी आरोपित थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो मामलों को ट्रांसफर करने की याचिका स्वीकार हुई जबकि जिसमें अनंत कुमार सिंह आरोपित थे, उस याचिका को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के विरुद्ध सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की जबकि दो केसों से संबंधित याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर जिला

कोऑपरेटिव बैंक भर्ती मामले में रजिस्ट्रार का आदेश सही

नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक की ग्रुप-डी में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों की बर्खास्तगी संबंधी रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद रजिस्ट्रार के आदेश को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी रीना उनियाल व सात अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून के डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक में ग्रुप-डी के लिए 57 पदों में भर्ती हुई। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सचिव सहकारी ने इसके जांच के आदेश दिए थे। लेकिन आज तक इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। इसी बीच रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने एक आदेश जारी कर 39 आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के आदेश दे दिए। याचिका में कहा कि जब यह मामला बोर्ड मीटिंग में गया तो बोर्ड ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में फैसला दिया। उसके बाद भी उन्हें हटाया जा रहा है।

इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने अपने आदेश में यह कहा कि 39 आउटसोर्स कर्मचारियों को इसलिए हटाया जा रहा है कि बैंक के पास इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। संवाद

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय

अम्बेडकर सत्यार्थ सेवा समिति (एनजीओ) के निषेध की सूचना

नाबार्ड ने दिनांक 24.03.2021, 27.10.2021, 08.07.2022 को नोटिस के माध्यम से अम्बेडकर सत्यार्थ सेवा समिति, पोस्ट खेड़ा जट्टा, जनपथ, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड को भविष्य की सभी सहायता और अनुबंधों से वंचित करने के नाबार्ड के निर्णय से अवगत कराया है, नाबार्ड अन्य उचित कार्रवाई करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखता है।

एजेंसी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसा करना सुनिश्चित करें।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से संपर्क किया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय

क्राफ्ट एवं रुरल डेव्लपमेंट सोसाइटी (एनजीओ) के निषेध की सूचना

नाबार्ड ने दिनांक 25.01.2021, 27.10.2021, 08.07.2022 को नोटिस के माध्यम से क्राफ्ट एवं रुरल डेव्लपमेंट सोसाइटी, ग्राम कहारी, पोस्ट प्रेम नगर, जिला देहरादून को भविष्य की सभी सहायता और अनुबंधों से वंचित करने के नाबार्ड के निर्णय से अवगत कराया है, नाबार्ड अन्य उचित कार्रवाई करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखता है।

एजेंसी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे उक्त निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसा करना सुनिश्चित करें।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से संपर्क किया जा सकता है।